न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—193 / 2025 / 225 आर.टी.एक्ट (2025 / 193)

1. वली मौहम्मद पुत्र गुलाब जाति नीलगर मुसलमान, निवासी हिंगोनिया, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोविन्द पुत्र छोगा जाति खटीक निवासी हिंगोनिया, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।
2. बन्ना पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी हिंगोनिया, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 राजस्व वाद संख्या 2024 / 153

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 25.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2024 / 153 में पारित आदेश दिनांक 16. 01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के न्यायालय में अप्रार्थी / अपीलांट व अप्रार्थी / शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2024 / 153 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। उक्त अविधिक प्रार्थना पत्र की बिना जांच कराये ही अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून के अनुसार चलने योग्य नही है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1055 में जाने के लिए केवल खसरा नम्बर 1049 एवं 1050 में से रास्ते की मांग की है। खसरा नम्बर 1049 एवं 1050 के बाद कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खसरा नम्बर 1049 एवं 1050 में से रास्ता लेकर आगे कहां जाना चाहता है अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया, जबकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किसी खातेदार को जो रास्ते के लिए आवेदन करता है उसको अपनी खातेदारी खेत से रिकार्डेड रास्ते तक रास्ते की मांग करनी पडेगी और रास्ते में जिन–जिन खातेदारों के खेत आयेंगे उन सभी को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडेगा। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपूर्ण आवेदन पेश किया था जो धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज लाभ प्रदान करने की गरज से आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सुविधा के लिए रास्ते की मांग की गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा एवं प्रावधानों के विपरीत था क्योंकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खसरा नम्बरों में कभी भी मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं था व ना ही है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को हैरान एवं परेशान करने की गरज से अपूर्ण आवेदन पेश कर राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर एक्स पार्टी मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है, जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्त योग्य है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 को बनाई गयी है जबकि अपीलांट को तहसील कार्यालय से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें दिनांक 8.10.2024 अंकित है। दिनांक 8.10.2024 का नोटिस अपीलांट को किसी प्रकार से तामील नहीं करवाया गया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने मिलाभगती कर अपीलांट को दिनांक 8.10.2024 का नोटिस जारी करना बताकर दिनांक 8.10.2024 के नोटिस की तामील अपीलांट को नहीं करवा कर कार्यालय में बैठे बैठे ही दिनांक 16.10.2024 को एक्स पार्टी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गयी है। उक्त एक्स पार्टी मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का द्वारा गांव में आकर घर पर दिनांक 16.10.2024 को उक्त प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट की जानकारी अपीलांट को दिये बिना

ही अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकारी नियम 69 की पालना किये बगैर राजस्व कर्मचारियों ने मौका रिपोर्ट तैयार की है, उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने कानून एवं विधिक प्रक्रिया की पलाना किए बिना आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत जकर पत्रावली बहस में नियत कर कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय बिना कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये, अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने दिनांक 7.5.2024 को प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस जारी करने का अंकन उपखण्ड अधिकारी, सरवाड की फर्द अहकाम पर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को किसी प्रकार न्यायालय से नोटिस प्राप्त नहीं हुआ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो नोटिस दिनांक 5.1.2024 का संलग्न है उसमें रईस मौहम्मद द्वारा लेना बताया जबकि रईस मौहम्मद अपीलांट के साथ नहीं रहकर अलग रहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की समुचित तामील कराये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना किये बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण आवेदन को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिससे आदेश अन्तर्गत अपील काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2024/153 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया, पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील सरवाड़ के ख.नं. 1055, रकबा 0.20 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण के आराजी ख.न. 1055 की पश्चिमी मेड के लगवा अप्रार्थीगण की आराजीयात ख.न. 1049, 1050 की भूमि स्थित है एवं ख.न. 1049, 1050 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे ख.न. 1055 में प्रार्थी वर्षो से आता जाता रहा है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से अप्रार्थीगण उक्त रास्ते का अवरूद करना चाह रहा है। प्रार्थी का उक्त रास्ता सबसे सुगम एवं सरल रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के आवागमन के एकमात्र रास्ते का राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 16.01.2025 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1055 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1049, 1050 की दक्षिणी मेड के सहारे 15 फीट चौडाई का रास्ता प्रदान किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 07.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण व अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार की गई। मौका रिपोर्ट पर रेस्पोडेंट्स व अपीलांट की उपस्थिति मय हस्ताक्षर दर्ज है तथा उक्त मौका रिपोर्ट अन्य छह मौतबिरान व्यक्तियों कि उपस्थिति में बनाई गई है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को चाहे गए रास्ते खसरा नम्बर 1049 व 1050 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग होना नहीं बताया गया तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना अंकित किया गया।

उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किए जाने के पश्चात मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है तथा रास्ता सुखाधिकार के तहत उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2024/153 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर